

संमक्ष :माननीय राजस्व मंडल म0प्र0 ग्वालियर

PBR/किरानी/रायसेना भू-श/2017/2946

म0क0

/2017 निगरानी

लखन लाल पुत्र श्री वृजलाल जाति गोड आदिवासी निवासी
ग्राम थुआखेडा , कौलार रोड जिला भोपाल म.प्र.

.....आवेदक

श्री लखन लाल पुत्र
आवेदक दि 28/8/17
पत्तन

विरुद्ध

1. श्री प्यारेलाल गौड आ0 श्री नाथूराम निवासी ग्राम थुआखेडा
तहसील हुजूर जिला भोपाल

2. श्री वृजलाल आ0 श्री नाथूराम गोड मृतक-
वैध वारिसा-

1. श्री लखनलाल आ0 स्व श्री वृजलाल निवासी ग्राम थुआखेडा
तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र।

3. श्रीमती भमरीबाई पत्नी श्री मंगला जाति गोड मृतक-
वैध वारसान-

1. श्री मंगला

2. श्री लालाराम आ0 श्री मंगला

3. श्रीमती कल्लोबाई आ0 श्री मंगला

समस्त निवासी ग्राम थुआखेडा तहसील हुजूर जिला
भोपाल म.प्र।

4. श्रीमती रामकलीबाई पत्नि श्री सूरज सिंह आदिवासी निवासी
ग्राम थुआखेडा तहसील हुजूर जिला भोपाल म.प्र।

5. श्री बालाप्रसाद आ. श्याम सिंह घोसी मृतक-
वैध वारसान-

1. श्री धनसिंह आ. रघु. श्री बालाप्रसाद

2. श्री सुखराम आ0 स्व. श्री बालाप्रसाद दोनो निवासी ग्राम
पिपलिया लोरका तहसील गोहगंज जिला रायसेन

राजस्व मंडल म.प्र. ग्वालियर



श्री लखन लाल पुत्र
28/8/17

3. श्रीमती कुजाबाई आ. स्व. श्री बालाप्रसाद पत्नि श्री प्रेमनारायण निवासी ग्राम कटारा तहसील हुजूर जिला- भोपाल म.प्र.।
6. श्री प्रताप सिंह आ० श्री महाराज सिंह निवासी ग्राम गोरखपुर तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
7. श्री रामस्वरूप आ० श्री भगवान सिंह निवासी ग्राम मिसरोद तहसील हुजूर जिला भोपाल
8. रफीक खां आ० श्री मोहम्मद खां निवासी ग्राम नयापुरा तहसील गौहरगंज जिला रायसेन
9. श्रीमती लईका पत्नी रफीक खां निवासी ग्राम नयापुरा तहसील गौहरगंज जिला रायसेन

.....अनावेदकगण



निगरानी अतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राज्य सहिता 1959 विरुद्ध कलेक्टर जिला रायसेन के अपील प्र.क. 04/03-04 मे पारित आदेश दिनांक 25.8.2011 के विरुद्ध निगरानी ।



न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/रायसेन/भूरा/17/2946

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-02-19	<p>आवेदकपक्ष अधिवक्ता श्री सुनील सिंह जादौन उपस्थित। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है । उभयपक्ष दिनांक 30-3-2019 को आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p> <p style="text-align: center;"> सीअ</p> <p style="text-align: right;"> अध्यक्ष</p>	